फ़ाइल संख्या. A.11012/01/2024-N/DGHS
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

22, शामनाथ मार्ग, दिल्ली -110054
दिनांक: 11th मई, 2026.

लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल में अवर श्रेणी लिपिक (LDC), समूह-'सी', अराजपत्रित, स्तर-2 के पद पर भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना।

डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन न. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, में अवर श्रेणी लिपिक (LDC) समूह-' सी', अराजपत्रित, स्तर-2 के पद का प्रारूप भर्ती नियम संलग्न है। ऐसे हितधारक जो उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के लिए इच्छुक हैं, वे प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव, लिखित में उप-निदेशक (उपचर्या), कमरा सं. 406, पीजी हॉस्टल, एनसीडीसी, डीटीई.जीएचएस, 22, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 को दे सकते हैं तथा सॉफ्ट कॉपी So-nursingdghs@gov.in पर भेजी जा सकती है।

11/5/2026

[पम्पोश पोखरियाल]
उप-निदेशक (नर्सिंग)

Scanned with OKEN Scanner

(भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड3-, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :2026

सा.का.नि. . .राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा **लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली, भर्ती नियम, 1962 को,** जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो जो किए जाने से छूट गई हों , एतद्द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत **लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में** अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:- -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1) :)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, **लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली**, अवर श्रेणी लिपिक (समूह "ग") भर्ती नियम, 2026 होगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** ऐसा कोई भी व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए ,उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	04* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (Rs. 19900-63200).	गैर-चयन	**18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।** (केन्द्र सरकार द्वारा समय –समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है।) नोट: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण; और (ii) मैन्युअल टाइपराइटर पर अंग्रेज़ी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति; या, (iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए पाँच कुंजी टाइपिंग के औसत पर प्रति घंटे 10500 कुंजी टाइपिंग या 9000 कुंजी टाइपिंग प्रति घंटे के अनुरूप है)। नोट 1: अन्यथा भली प्रकार से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकेगी । नोट 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	हाँ, स्तम्भ (11) के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक।	दो वर्ष. टिप्पणी: केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।

भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।

(10)	(11)
(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10 प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा; (iii) 5 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति: (i) विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों में से दस प्रतिशत रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) के स्तर -1 में कार्यरत समूह 'ग', कर्मचारियों में से भरी जाएंगी; ये वे कर्मचारी होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। नोट 1: परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा, सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 50 वर्ष तक है। नोट 2: यदि खंड (i) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर, बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (ii) रिक्तियों में से 5 प्रतिशत पद, समूह 'ग', के उन कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपये) के स्तर -1 के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है। नोट: जहाँ कनिष्ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहाँ उनके वरिष्ठ की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा में कमी, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से ज़्यादा या दो वर्ष (जो भी कम हो) से ज़्यादा न हो, और उन्होंने अगले स्तर में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा- अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, ठीक वैसे ही जैसे उनके कनिष्ठों ने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है ,तो उसकी संरचना-	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :- 1. निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 4. प्रधान नर्सिंग अधिकारी या प्रभारी, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली – सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 3. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य; 4. प्रधान नर्सिंग अधिकारी अथवा प्रभारी, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली – सदस्य।	लागू नहीं।

फ़ाइल संख्या ए .11012/01/2024-एन/डीजीएचएस

(पंपोश पोखरियाल)
उप निदेशक